Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

फा.सं.सी-66/2011-एमपीलैड्स-खंड III

Dated ....दिनांक: 04.03.2015

सेवा में,

1. आयुक्त
   कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः बीमार/घायल पशुओं के लिए एम्बुलेंसों की खरीद ।

महोदय/महोदया,

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) संबंधी दिशा-निर्देशों में निम्नानुसार पैरा 3.25.2 शामिल करने का निर्णय लिया गया है:-

पैरा 3.25.2 : वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में संसद सदस्य की सिफारिश (पैरा 3.25.1) पर जिला अधिकारियों द्वारा बीमार/घायल पशुओं के लिए एम्बुलेंसों की खरीद की अनुमति दी जाती है । इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार अब जिलों में बीमार/घायल पशुओं को ढोने के लिए एम्बुलेंसों की खरीद की अनुमति दी गई है ।

2. अनुबंध-II-क में निम्नानुसार पैरा 10.2 शामिल करने का भी निर्णय लिया गया है:-

पैरा 10.2 : पशुओं को ढोने के लिए एम्बुलेंस (3.25.2) :

(क) वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में बीमार/घायल पशुओं को ढोने के लिए संसद सदस्य की सिफारिश पर जिला अधिकारियों द्वारा एम्बुलेंस खरीदने की पहले ही अनुमति दी गई है । जिले में बीमार/घायल पशुओं को ढोने के लिए एम्बुलेंसों की खरीद की भी अनुमति देने का निर्णय लिया गया है ।

एम्बुलेंसों की खरीद संसद सदस्य की सिफारिश पर तथा जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा संबंधित जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की सदस्यता वाली एक तीन सदस्यीय समिति द्वारा जांच किए जाने के बाद की जाएगी ।

(ख) खरीदा गया एम्बुलेंस जिला प्राधिकारी/जिला मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के स्वामित्व में रहेगा ।

(ग) प्रयोक्ता प्रभार जिला प्राधिकारी (उपयुक्त तरीके से गठित समिति की सिफारिश पर) द्वारा तय किए जाएंगे जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि तय किए गए प्रभार सुसंगत हैं और आम आदमी द्वारा वहन किए जा सकते हैं ।

(घ) जिला कलैक्टर/उप आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट इन एम्बुलेंसों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की निगरानी करेंगे ताकि जनता को उनका अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके ।

(ङ.) इस प्रकार खरीदे गए एम्बुलेंसों पर दोनों तरफ मोटे अक्षरों में "श्री/श्रीमती --------------------, संसद सदस्य के योगदान से भारत सरकार, एमपीलैड्स से पशुओं को ढोने के लिए खरीदा गया एम्बुलेंस" लिखा जाएगा ।

(च) जिला प्राधिकारी सरकारी पशु चिकित्सालयों, नगर निगम/पंचायत कार्यालयों आदि में प्रमुख स्थानों पर संसद सदस्य द्वारा अपने एमपीलैड्स स्कीम निधियों से एम्बुलेंस उपलब्ध कराए जाने के बारे में सार्वजनिक नोटिस लगाएंगे जिसमें संपर्क के लिए दूरभाष नं. दिए जाएंगे ताकि जनता एम्बुलेंस की सेवाएं प्राप्त कर सके और उसके दुरूपयोग या प्रयोग न किए जाने के बारे में शिकायत दर्ज करा सके जिससे जिला प्राधिकारी उन शिकायतों की समुचित जांच करने के बाद आवश्यक कार्रवाई कर सके ।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

तपन मित्र 4/3/2

(तपन मित्र)

निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. सचिव, एमपीलैड्स का काम देख रहे नोडल विभाग (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।